न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाडोती, आर.ए.एस.

राजस्व वाद नम्बर :– 54 / 2025

जीसीएमएस नम्बर :– 2025 / 85

उनवान

1. नन्दानाथ पिता हजारी नाथ निवासी देवनगर, तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लक्ष्मणनाथ पिता हजारी नाथ निवासी देवनगर, तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. बालुनाथ पिता हजारी नाथ निवासी देवनगर, तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. लैहरूनाथ पिता हजारी नाथ निवासी देवनगर, तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. नारायणनाथ पिता हजारी नाथ निवासी देवनगर, तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. सोहनीदेवी पत्नि हजारी नाथ निवासी देवनगर, तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. मांगुनाथ पिता नंगजी नाथ निवासी दुल्हेपुरा, तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. उदयनाथ पिता मोहन नाथ निवासी दुल्हेपुरा, तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. गीता पुत्री मोहन नाथ निवासी दुल्हेपुरा, तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. सन्तोकीदेवी पत्नि मोहन नाथ निवासी दुल्हेपुरा, तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद मंसूरी – वादी अधिवक्ता
2. प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित
3. प्रतिवादी संख्या 2, 3 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांक 22/5/26

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम तोलास पटवार हल्का बोरियापुरा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे वादीगण के पिता एव प्रतिवादी संख्या 1 के भाई व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के पिता के नाम शामलाती खातेदारी अधिकार एव कब्जे काश्त की साबिक आराजी संख्या 415, साबिक आराजी संख्या 413 साबिक आराजी संख्या 414 साबिक आराजी संख्या 416 साबिक आराजी संख्या 417 साबिक आराजी संख्या 418 कुल किता 06 कुल रकबा 11 बिघा 18 बिस्वा भूमि साबिक खाता संख्या 104 पर दर्ज रेकार्ड थी, प्रमाण मे नकल जमाबन्दी संवत् 2036 से 2039 वाद पत्र के साथ पेश है।
2. वादपत्र की कलम संख्या एक मे अंकित साबिक आराजियात सवत् 2036 से 2039 मे शामलाती रुप से खातेदार मांगू नाथ, हजारीनाथ, मोहन नाथ पिता नंगजी नाथ जोगी सा.देह के नाम दर्ज थी तथा तीनो खातेदारों का वादवर्णित भूमि मे समान रुप से हिस्सा दर्ज रेकार्ड था तीनों खातेदार मौके पर हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।
3. वादपत्र की कलम संख्या एक में अंकित आराजियात की रोटेशन जमाबन्दी सवंत् 2046 से 2049 कायम हुई जिसमे राजस्व कर्मचारीयो अधिकारीयों ने बिना किसी अधिकर एंव आदेश के वादीगण के पिता हजारीनाथ का नाम मांगुनाथ पिता हजारीनाथ दर्ज कर दिया जबकी मांगुनाथ, हजारीनाथ, मोहननाथ, तीनो सगे भाई होकर तीनों के पिता का नाम नंगजीनाथ जोगी था। उक्त जमाबन्दी

सहायक कलक्टर
(उ.डी.ओ.) रायपुर

के पश्चात आगे की सभी जमाबन्दीयों में जमाबन्दी सवत् 2046 से 2049 के अनुसार खातेदार के नाम दर्ज होते रहे तथा वर्तमान में वादीगण के पिता का नाम ही दर्ज नही रहा वादीगण ने राजस्व अभियान मे भी उक्त त्रुटी को दुरुस्त कराने हेतू आवेदन किया लेकिन उक्त आवेदन की पालना राजस्व अधिकारीयो द्वारा राजस्व रेकार्ड मे नही की गई जिससे पुनः वादीगण को उक्त इन्द्राज दुरुस्ती कराना आवश्यक हो गया है और यह वादपत्र न्यायालय आप मे प्रस्तुत करना पडा है।

4. वादीगण के पिता हजारीनाथ का वादवर्णित भूमि में 1/3 हिस्सा निहित है तथा 2/3 हिस्सा मांगुनाथ व मोहननाथ के वारीसान का निहित है जो वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 है। भूप्रबन्ध होने पर ग्राम तोलास का भी भूप्रबन्ध हुआ जिससे वादपत्र की कलम संख्या 1 में अंकित साबिक आराजियात के नवीन नम्बर कायम किए जो निम्न है –

क.स.	खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा
1	154	625	0.26
2	154	626	0.25
3	154	627	0.23
4	154	628	0.23
5	154	629	0.01
6	154	630	0.73
7	154	631	0.53
8	154	632	0.42
	कुल किता कुल रकबा	8	2.57

प्रमाण में नकल जमाबन्दी एवं मिलान क्षेत्रफल वादपत्र के साथ पेश की है।

5. अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि इन्द्राज दुरूस्ती की घोषणात्मक डिकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम तोलास के खाता संख्या 154 में वर्णित भूमि कुल किता 8 कुल रकबा 2.57 है0 भूमि में वादीगण के पिता का नाम मांगूनाथ पिता हजारीनाथ के बजाय हजारी पिता नंगजीनाथ अंकित कराते हुए राजस्व जमाबन्दी में वादीगण के पिता का नाम बतौर खातेदार 1/3 हिस्से से दर्ज कराया जावें। तदनुसार पालनार्थ प्रतिवादी संख्या 4 को आदेशित करावें।

6. प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 07.04.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से दिनांक 24.02.2026 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई एंव विपक्षी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 तहसीलदार रायपुर औपचारिक पक्षकार है।

7. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकन किया कि उक्त वादपत्र में वादीगण के पिता का नाम मांगूनाथ पिता हजारीनाथ के बजाय हजारीनाथ पिता नंगजीनाथ दर्ज करा उनका हिस्सा 1/3 दर्ज किया जाता है तो मेरी सहमति है। मै मांगुनाथ, हजारीनाथ व मोहननाथ तीनो सगे भाई है। हमारा तीनों का बराबर–बराबर हिस्सा है।

8. प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गई –

   1. आया वादपत्र की कलम संख्या 1 में अंकित आराजियात वादीगण के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 के भाई व प्रतिवादी 2 लगायत 4 के पिता के नाम सामलाती हिस्सेनुसार दर्ज रेकार्ड थी जिसमें वादीगण के पिता हजारीनाथ का 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड था। जिम्मे वादीगण

सहायक कलक्टर
(ए.डी.ओ.)रायपुर

2. आया वादीगण के पिता हजारीनाथ का रोटेशन जमाबन्दी में दौरान भूप्रबन्ध विभाग बिना किसी विधिक अधिकार हटा दिया, वादीगण पुनः अपने नाम खातेदारी हक से दर्ज करवाने की घोषणात्मक डिकी जारी कराने के अधिकारी है। जिम्मे वादीगण

9. वादीगण ने साक्ष्य वादी संख्या 3 बालुनाथ व वादी संख्या 4 लेहरूनाथ द्वारा शपथ पत्र पर बयान प्रस्तुत किये गये। बयानों में अंकन किया कि वादीगण के पिता हजारीनाथ, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के पिता मोहननाथ व प्रतिवादी संख्या 1 के भाई मांगूनाथ की सामलाती हिस्से की साबिक आराजी संख्या 415, 413, 414, 416, 417, 418 कुल किता 6 कुल रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा भूमि साबिक खाता संख्या 104 पर दर्ज रेकार्ड थी, जिसके मूल खातेदार मांगूनाथ, हजारीनाथ, मोहननाथ पिता नंगजीनाथ थे जिनका बराबर–बराबर हिस्सा था जो जमाबन्दी प्रदर्श–1 है। आगे जमाबन्दी रोटेशन की संवत 2046 से 2049 कायम हुई जिसमे गलत अंकन हो गया जिससे आगामी रोटेशन की जमाबन्दियों में गलत अंकन चलता रहा है जिसे इन्द्राज दूरूस्ती करा घोषणा कराना आवश्यक हो गया है। भू प्रबन्ध से नवीन खाता संख्या 154 में अंकित आराजी संख्या 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632 कुल किता 8 कुल रकबा 2.57 है0 भूमि में वादीगण के पिता का नाम हजारीनाथ पिता नंगजीनाथ इन्द्राज करा 1/3 हिस्सा दुरस्ती कराने हेतु वादपत्र पेश किया है। वादीगण के पिता की मृत्यु हो चुकी है जिससे वादवर्णित भूमि में वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जाकर इन्द्राज दूरस्ती की घोषणात्मक डिकी जारी फरमाया जाना आवश्यक है।

10. प्रकरण में वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस में अधिवक्ता ने निवेदन किया कि ग्राम तोलास के साबिक खाता संख्या 104 में अंकित आराजियात मांगूनाथ, हजारीनाथ, मोहननाथ पिता नगंजीनाथ के नाम दर्ज रेकार्ड थी जिसमें तीनों खातेदारों का 1/3–1/3 हिस्सा निहित था। रोटेशन की जमाबन्दीं में संवत 2046 से 2049 में मांगूनाथ पिता हजारीनाथ, मोहननाथ पिता नंगजीनाथ का त्रुटिपूर्ण अंकन कर दिया गया और भाई हजारीनाथ को मांगुनाथ का पिता बता दिया गया। खाता संख्या 104 के नवीन खाता संख्या 154 बना जिसमें पूरा खाता मांगुनाथ व मोहननाथ के नाम दर्ज हो गया और हजारीनाथ का नाम विलोपित हो गया। वादीगण के पिता हजारीनाथ की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण के पिता के नाम के वादग्रस्त आराजियात में त्रुटिपूर्ण विलोपन को सही करते हुए वादीगण को वादग्रस्त आराजियात में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाए और वादपत्र स्वीकार किया जाए।

11. प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :–

1. आया वादपत्र की कलम संख्या 1 में अंकित आराजियात वादीगण के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 के भाई व प्रतिवादी 2 लगायत 4 के पिता के नाम सामलाती हिस्सेनुसार दर्ज रेकार्ड थी जिसमें वादीगण के पिता हजारीनाथ का 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड था।

जिम्मे वादीगण

इस तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर था। इस तनकी के समर्थन में वादीगण ने साक्ष्य वादी में वादीगण बालुनाथ, लेहरूनाथ के बयान कराये गए। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श कराए। प्रदर्श–1 जमाबन्दी संवत 2036 से 2039 तक खाता संख्या 104 की प्रस्तुत की गई जिसमें अंकन अनुसार मांगुनाथ, हजारीनाथ, मोहननाथ पिता नंगजीनाथ जोगी

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

सा. देह खातेदार के नाम वादग्रस्त आराजियात दर्ज रेकार्ड थी। उक्त जमाबन्दी के अनुसार वादीगण के पिता हजारीनाथ के नाम पर 1/3 हिस्से से भूमि दर्ज रेकार्ड थी। प्रदर्श–2 जमाबन्दी संवत 2046 से 2049 तक खाता संख्या 111 की प्रस्तुत की गई जिसमें अंकन अनुसार मांगुनाथ पिता हजारीनाथ, मोहननाथ पिता नंगजीनाथ जोगी सा. देह खातेदार के नाम वादग्रस्त आराजियात दर्ज रेकार्ड थी। इस प्रकार मांगुनाथ पिता नंगजीनाथ के स्थान पर मांगुनाथ पिता हजारीनाथ का अंकन कर दिया गया। प्रतिवादी संख्या 1 मांगुनाथ ने वादपत्र में दिए गए अपने जवाब में स्वीकार किया गया कि वह स्वयं, हजारीनाथ, तथा मोहननाथ तीनों सगे भाई है एवं इनके पिता नंगजीनाथ थे एवं तीनो भाईयों का वादवर्णित भूमियों में बराबर का हक–हिस्सा निहित था। इससे स्पष्ट है कि जमाबन्दी संवत 2046 से 2049 के खाता संख्या 111 में किया गया मांगुनाथ पिता हजारीनाथ का अंकन त्रुटिपूर्ण है। वादग्रस्त आराजियात में वादीगण के पिता हजारीनाथ का 1/3 हिस्सा निहित था। वादीगण इस तनकी को साबित कराने में सफल रहे है। अतः इस तनकी का निर्णय बहक वादीगण किया जाता है।

2. **आया वादीगण के पिता हजारीनाथ का रोटेशन जमाबन्दी में दौरान भूप्रबन्ध विभाग बिना किसी विधिक अधिकार हटा दिया, वादीगण पुनः अपने नाम खातेदारी हक से दर्ज करवाने की घोषणात्मक डिक्री जारी कराने के अधिकारी है।** **जिम्मे वादीगण**

इस तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर था। इस तनकी के समर्थन में वादीगण ने साक्ष्य वादी में वादीगण बालुनाथ, लेहरूनाथ के बयान कराये गए। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श कराए। प्रदर्श–1 जमाबन्दी संवत 2036 से 2039 तक खाता संख्या 104 की प्रस्तुत की गई जिसमें अंकन अनुसार मांगुनाथ, हजारीनाथ, मोहननाथ पिता नंगजीनाथ जोगी सा. देह खातेदार के नाम वादग्रस्त आराजियात दर्ज रेकार्ड थी। उक्त जमाबन्दी के अनुसार वादीगण के पिता हजारीनाथ के नाम पर 1/3 हिस्से से भूमि दर्ज रेकार्ड थी। प्रदर्श–2 जमाबन्दी संवत 2046 से 2049 तक खाता संख्या 111 की प्रस्तुत की गई जिसमें अंकन अनुसार मांगुनाथ पिता हजारीनाथ, मोहननाथ पिता नंगजीनाथ जोगी सा. देह खातेदार के नाम वादग्रस्त आराजियात दर्ज रेकार्ड थी। इस प्रकार मांगुनाथ पिता नंगजीनाथ के स्थान पर मांगुनाथ पिता हजारीनाथ का अंकन कर दिया गया। उक्त जमाबन्दी में किसी प्रकार नामान्तरण, न्यायालय आदेश का अंकन नही हो रखा है। आगामी रोटेशन की जमाबन्दियो में इसी अनुसार मांगुनाथ पिता हजारीनाथ के अंकन को दोहराते हुए राजस्व खाते में वादग्रस्त आराजियात में खातेदारी दर्ज चलती रही है। प्रतिवादी संख्या 1 मांगुनाथ ने वादपत्र में दिए गए अपने जवाब में स्वीकार किया गया कि वह स्वयं, हजारीनाथ, तथा मोहननाथ तीनो सगे भाई है एवं इनके पिता नंगजीनाथ थे एवं तीनो भाईयों का वादवर्णित भूमियों में बराबर का हक–हिस्सा निहित था। इससे स्पष्ट है कि जमाबन्दी संवत 2046 से 2049 के खाता संख्या 111 में किया गया मांगुनाथ पिता हजारीनाथ का अंकन त्रुटिपूर्ण है। अतः बिना किसी आदेश के राजस्व खाते में खातेदारों के नाम में हुए त्रुटिपूर्ण परिवर्तन को सुधारा जाना न्यायोचित है। वादग्रस्त आराजियात में वादीगण के पिता हजारीनाथ का 1/3 हिस्सा निहित था परन्तु जमाबन्दी में त्रुटिपूर्ण अंकन के कारण हजारीनाथ का नाम विलोपित हो गया था। हजारीनाथ की मृत्यु होने से वादीगण ने हजारीनाथ के वारीसान की हैसियत से वाद पत्र पेश किया है। वादग्रस्त आराजियात में वादीगण का अपने पिता हजारीनाथ की विरासत से 1/3

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

हक हिस्से निहित होता है जिसकी वह खातेदारी अधिकारो की घोषणात्मक डिकी प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः इस तनकी को साबित कराने में वादीगण सफल रहने से इस तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाता है।

12. उक्त तनकीवार विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा साक्ष्यो के माध्यम से अपने जिम्मे तनकीयों को साबित कराया गया है। वादीगण के पिता हजारीनाथ का नाम वादग्रस्त आराजियात की जमाबन्दी में संवत 2032 से 2036 में अपने भाईयों मांगुनाथ, मोहननाथ पिता नगंजीनाथ के साथ अंकित था। उसके बाद की वादग्रस्त आराजियात की जमाबन्दी संवत 2046 से 2049 के खातेदारों में वादीगण के पिता हजारीनाथ का नाम बिना किसी विधिक प्रकिया के त्रुटिपूर्ण तरीके से विलोपित करते हुए मांगूनाथ पिता हजारीनाथ, मोहननाथ पिता नंगजीनाथ का अंकन कर दिया गया जबकि हजारीनाथ, मांगुनाथ का पिता ना होकर उसका भाई तथा नगंजीनाथ का पुत्र था तथा वादग्रस्त आराजियात में उसका अपने अन्य दो भाईयों के बराबर 1/3 हिस्सा निहित था। उक्त त्रुटि को दुरूस्त किया जाना न्यायाचित है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम तोलास पटवार हल्का बोरियापुरा की निम्न आराजियात स्थित है –

क.स.	खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा
1	154	625	0.26
2	154	626	0.25
3	154	627	0.23
4	154	628	0.23
5	154	629	0.01
6	154	630	0.73
7	154	631	0.53
8	154	632	0.42
	कुल किता कुल रकबा	8	2.57

उक्त वर्णित आराजियात में खातेदार मांगूनाथ पिता हजारीनाथ के नाम में त्रुटि का सुधार करते हुए मांगुनाथ पिता नंगजीनाथ का अंकन किया जाए। त्रुटिपूर्ण विलोपित हुए खातेदार हजारीनाथ के विधिक वारीसान को वादग्रस्त आराजियात के 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे कि हजारीनाथ के विधिक वारीसान की जांच कर विरासत के नामान्तकरण की पूर्ण प्रकिया का पालन करते हुए हजारीनाथ के विधिक वारीसान के पक्ष में वादग्रस्त आराजियात के 1/3 हिस्से का नामान्तरण दर्ज किया जावें। इसी अनुसार अन्तिम डिकी जारी होकर राजस्व रेकार्ड में अमल हो।

निर्णय आज दिनांक 22/5/26 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाडा पीठासीन

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व वाद नम्बर :– 54 / 2025

जीसीएमएस नम्बर :– 2025 / 85

उनवान

1. नन्दानाथ पिता हजारी नाथ निवासी देवनगर, तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लक्ष्मणनाथ पिता हजारी नाथ निवासी देवनगर, तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. बालुनाथ पिता हजारी नाथ निवासी देवनगर, तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. लैहरूनाथ पिता हजारी नाथ निवासी देवनगर, तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. नारायणनाथ पिता हजारी नाथ निवासी देवनगर, तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. सोहनीदेवी पत्नि हजारी नाथ निवासी देवनगर, तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. मांगुनाथ पिता नंगजी नाथ निवासी दुल्हेपुरा, तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. उदयनाथ पिता मोहन नाथ निवासी दुल्हेपुरा, तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. गीता पुत्री मोहन नाथ निवासी दुल्हेपुरा, तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. सन्तोकीदेवी पत्नि मोहन नाथ निवासी दुल्हेपुरा, तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक 22/5/26

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम तोलास पटवार हल्का बोरियापुरा की निम्न आराजियात स्थित है –

क.स.	खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा
1	154	625	0.26
2	154	626	0.25
3	154	627	0.23
4	154	628	0.23
5	154	629	0.01
6	154	630	0.73
7	154	631	0.53
8	154	632	0.42
	कुल किता कुल रकबा	8	2.57

उक्त वर्णित आराजियात में खातेदार मांगूनाथ पिता हजारीनाथ के नाम में त्रुटि का सुधार करते हुए मांगुनाथ पिता नंगजीनाथ का अंकन किया जाए। त्रुटिपूर्ण विलोपित हुए खातेदार हजारीनाथ के विधिक वारीसान को वादग्रस्त आराजियात के 1 / 3 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे कि हजारीनाथ के विधिक वारीसान की जांच कर विरासत के नामान्तकरण की पूर्ण प्रकिया का पालन करते हुए हजारीनाथ के विधिक वारीसान के पक्ष में वादग्रस्त आराजियात के 1 / 3 हिस्से का नामान्तरण दर्ज किया जावें। इसी अनुसार अन्तिम डिकी जारी होकर राजस्व रेकार्ड में अमल हो।

वाद में डिकी आज दिनांक 22/5/26 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) के हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी की गई।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
(उ.ख.अ.) रायपुर